न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66 **दायर दिनांक : 09.06.2010**

1. जयलाल पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

.....वादी

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुंसाई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रूकमां देवी पुत्री श्री लालगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. धनगिर पुत्र श्री श्री लालगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. खेतू बेवाह श्री खेतगिर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. कोजूराम पुत्र श्री खेतगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. गंगाराम
7. मोहन
8. हरिराम
9. सावित्री
10. विमला
11. पार्वती

   पिसरान हनुमान अकवाम गुसांई साकिनान सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. इन्द्रा पुत्री श्री रामचन्द पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. सरोज पुत्री श्री रामचन्द पुत्र श्री मति निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धरा 88, 53, 188 व 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री मूलचंद शर्मा, अभिभाषक वादी
2. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3
3. श्री प्रमेन्द्र, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5
4. श्री रामप्रताप तिवाड़ी प्रतिवादी सं. 6 ता 11
5. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक :** 14.11.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा ठुकराना में ख.न. 98/2 में 10.739 है. वा ख.न. 98 में 9.070 है. कुल 19.809 है. भूमि खातेदारी थी एवं लालगिर की मृत्यु

.....2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

के समय उनके पॉच वारिस जीवित थे जिसमें वादी की माता थी, माता निकी देवी का 1/5 हिस्सा बनता था उक्त 1/5 हिस्सा खातेदारी में वादी वा प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा प्रत्येक खातेदार होने के पात्र है इसी प्रकार की घोषणा चाहते है घोषणानुसार खाता विभाजन कर वादी के हक में आयी भूमि प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करे इस हेतू स्थाई निषेधाज्ञा चाही। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 गांव ठुकराना तहसील सूरतगढ़ खाता सं. 93 पुराना 571 खाता सं. नया 49 पुराना 709 सम्वत् 2065 ता 68 पेश कर उसके अंकन को गलत बताया वा लालगिर के वारिसों में चार वारिस बनाकर जो अंकन करवाये है उसके स्थान पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लालगर की भूमि में स्वयं की माता निकी देवी पॉचवी हिस्सा की हकदार बनाते हुये उसके हिस्सा की भूमि की 1/5 हिस्सा की भूमि मानते हुये उसके फौत होने के कारण वादी ने 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी न. 1 के लिये 1/5 हिस्सा में 1/2 हिस्सा की मॉग की, वाद डिक्री होने पर डिक्री अनुसार खाता विभाजन वा स्थाई निषेधाज्ञा चाही, वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी न. 5, 6 ता 11 एवं प्रतिवादी न. 3 के अभिभाषक उपस्थित आये, प्रतिवादी न. 3, 6 ता 11 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी न. 3 के उपस्थित आने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं किया जवाबदावा बंद किया प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में वादी के कथनों से इन्कार करते हुये भूमि विक्रय करने के पश्चात भी केता को पक्षकार न बनाने इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में एक वाद पत्र निर्णय होने एवं आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाने के कारण वाद पत्र निरस्त करने की इस्तदुआ की। बाद आने जवाबदावा तनकीयात् निम्न प्रकार से कायम कीः–

1. **तनकी न. 1:–** आया वादाधीन 19.809 है. भूमि वादी के नाना की होने से वादी की माता का 1/5 हिस्सा भूमि है।
2. **तनकी न. 2:–** आया वादी की माता फौत हो चुकी है इसलिये उनका 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर वादी 1/5 हिस्सा में 1/2 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की हकदार है।
3. **तनकी न. 3:–** आया रामचन्द पुत्र श्री लालगिर को दावा में पक्षकार नहीं बनाने से दावा Non Joinder of the necessary party होने से खारिज किया जावे।
4. **तनकी न. 4:–** आया वादी 1/5 हिस्सा की घोषणा की पात्र नहीं है।
5. अन्य अनुतोष।

बाद तनकीयात साक्ष्य लिये गये जिसमें वादी स्वयं के शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत किये प्रतिवादी की ओर से ग्यारसी देवी पत्नि श्री धनगिर के बयान करवाये गये बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये। वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रस्तुत जमाबंदियों

......3 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

का अवलोकन करवाया वा कथन किया कि जमाबंदियों के अंकन को प्रतिवादी द्वारा कही भी अस्वीकार नहीं किया भूमि स्वीकारोक्ति प्रतिवादीगण अनुसार लालगिर की होनी साबित है। प्रमाण पत्र के अनुसार उसके पॉच वारिस साबित है जबकि नामान्तरणकरण चार वारिस मानते हुये किया गया है जो कि कतई गलत है, वादीगण उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित होकर उसमें उक्त 1/5 हिस्सा में वादीगण वा प्रतिवादी न. 1 प्रत्येक 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित होने के पात्र बनते है। वाद पत्र को पूर्णरूप से सिद्ध वादी द्वारा किया गया है इसलिये वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा निकी देवी पुत्री श्री लालगिर के सम्बंध होने से इन्कार किया प्रस्तुत साक्ष्य असल नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं बताया साथ ही निवेदन किया कि यदि निकी देवी लालगिर के वारिस है तो इसकी घोषणा व्यवहार न्यायालय से करवायी जा सकती है, निकी देवी को बतौर पुत्र श्री लालगिर प्रतिवादी नहीं जानते है वा ना ही उनके मध्य आना जाना है। वारिसनामां अधिकार रहित व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है इसकी घोषणा मात्र व्यवहार न्यायालय द्वारा ही हो सकती है। वर्तमान स्थिति में वादी अपनी माता निकी देवी को लालगिर की पुत्री होना साबित नहीं कर सके। भूमि की बाबत वर्तमान पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी प्रकरण विचारण में रहा खाता विभाजन हो चुका है जो कि आदेश दि. 28.08.03 को किया गया है जो कि अंतिम डिक्री है, डिक्री को मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है उक्त डिक्री के खिलाफ वादी द्वारा अलग से कोई चाराजोई नहीं की ना ही उक्त डिक्री को चैलेंज किया, वादाधीन भूमि में से खेतगिर के पक्ष में आयी भूमि विक्रय की जा चुकी है केता के नाम से जमाबंदी में नामान्तरणकरण दर्ज हो चुका है वे भी हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसी आधार पर आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने से वाद पत्र को निरस्ती योग्य बताया साथ ही निवेदन किया कि वादी ने किसी स्वतंत्र गवाह से पुष्ट नहीं कराया है इसलिये वाद वादी निरस्ती योग्य है। बाद सुनने तर्क पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया वा दस्तावेज का गहन मनन किया, संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार से है:–

<u>तनकी न. 1:– आया वादाधीन 19.809 है. भूमि वादी के नाना की होने से वादी की माता का 1/5 हिस्सा भूमि है।</u>

<u>वादी</u>

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, वादी द्वारा स्वयं के कथन प्रस्तुत जमाबंदी एवं साक्ष्य प्रमाण पत्र सोमासर सरपंच का प्रस्तुत कर वाद पत्र को सिद्ध करने की चेष्टा की है जहॉ तक वादाधीन भूमि के मूल काश्तकार लालगिर के होने का प्रश्न है पक्षकारान इसे स्वीकार करते है किन्तु वादी द्वारा

.....4 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

मु.निकी देवी पुत्री लालगिर को सिद्ध करने का प्रश्न है इस सम्बंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये मात्र सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है जो साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है, द्वित्तीय ग्राम पंचायत को मृतक के प्रमाण पत्र का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है इस सम्बंध में नियम प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त विवाद की स्थिति में साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पमाण पत्र को पुष्ट नहीं करवाया गया, इस अवस्था में संदेह से परे निकी देवी लालगिर की वारिस है पुष्ट नहीं करवाया। तनकी न. 1 का यह हिस्सा कि वादाधीन भूमि रोही ठुकराना की 19.809 है. भूमि में वादी की माता का कोई हक है वादी इसे सिद्ध नहीं कर पाये इसलिये यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी न. 2:– आया वादी की माता फौत हो चुकी है इसलिये उनका 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर वादी 1/5 हिस्सा में 1/2 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की हकदार है।

वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिये जो इस्तावेज प्रस्तुत किये है फोटो प्रति प्रस्तुत की है जो कि साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है, इस आधार पर तनकी न. 2 खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

तनकी न. 3:– आया रामचन्द पुत्र श्री लालगिर को दावा में पक्षकार नहीं बनाने से दावा Non Joinder of the necessary party होने से खारिज किया जावे।

प्रतिवादी न. 3

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, इस तनकी को सिद्ध करने के लिये प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया स्वयं वादी द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसमें रामचन्द को निकी देवी का पुत्र बताया है पत्रावली में रामचन्द के वारिसान पक्षकार बनने हेतू प्रस्तुत हुये है किन्तु इस स्तर पर यह भी विचारण तथ्य है कि इस भूमि से सम्बंधित अंकित काश्तकार खेतगिर द्वारा भूमि का विक्रय किया है जमाबंदी में क्रेतागण आवश्यक पक्षकार है उन्हें अन्तिम स्तर पर अब पक्षकार नहीं बनाया जा सकता तनकी न. 3 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी न. 4:– आया वादी 1/5 हिस्सा की घोषणा की पात्र नहीं है।

प्रतिवादी न. 3

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी न. 3 पर था प्रतिवादी द्वारा स्वयं के शपथ पत्र से यह सिद्ध किया है कि वे निकी देवी को नहीं जानते वा ना ही उनकी कोई बहिन थी वादी द्वारा निकी देवी के लालगिर की पुत्री होने के मूल अधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये इसलिये शपथ पत्र धनगिर मार्फत गयारसी देवी (पत्नि) मानने योग्य नहीं है। प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तनकी न. 4 बहक प्रतिवादी न. 4 निर्णय की जाती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार

.....5 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

चूंकि तनकी न. 1, 2 विरूद्ध वादी 3, 4 बहक प्रतिवादी निर्णय की गई है एवं वादी स्पष्टया उक्त वाद में स्वयं को सन्देह से परे दस्तावेज के आधार पर मु. निकी देवी को लालगिर की मूल काश्तकार की पुत्री सन्देह से परे साबित नहीं कर सका इसलिये वाद सिद्ध ना होने से वाद पत्र वादी निरस्त किया जाता है डिक्री जारी हो हुक्म सुनाया गया खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

जयलाल पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

.....वादी

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुंसाई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रूकमां देवी पुत्री श्री लालगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. धनगिर पुत्र श्री श्री लालगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. खेतू बेवाह श्री खेतगिर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. कोजूराम पुत्र श्री खेतगर जाति गुसांई निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. गंगाराम
7. मोहन
8. हरिराम
9. सावित्री
10. विमला
11. पार्वती

   पिसरान हनुमान अकवाम गुसांई साकिनान सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. इन्द्रा पुत्री श्री रामचन्द पुत्र श्री निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. सरोज पुत्री श्री रामचन्द पुत्र श्री मति निकी देवी पत्नि श्री बृजलाल जाति गुसांई निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 66 वर्ष 2010 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादीगण श्री मूलचन्द शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सर्वजीत छाबड़ा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 श्री प्रमेन्द्र अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5 श्री रामप्रताप तिवाड़ी प्रतिवादी सं. 6 ता 11 व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी निरस्त किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.11.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.22 13:32:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: